



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 15.06.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 380/26 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/131/118(2)/109(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.06.2026

को थाना कोतवाली बागपत पर वादी हबीब पुत्र अकीमूदीन निवासी पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत

जनपद बागपत ने लिखित अभियुक्तों 1- शहजाद पुत्र नौशाद, 2- सावेज जमाई शगीर, 3- नदीम, 4-नईम पुत्रगण

शगीर, 5-एजाद, 6-समीर, 7-आमिर पुत्रगण शहजाद, 8-लाला पुत्र गजा रियासत व 9-02 महिला एवं कुछ अज्ञात लडकों द्वारा एक राय होकर हाथों में धारधार हथियार और लाठी-डंडे लेकर उसके बेटे आसिफ के साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला करते हुए मारपीट की गयी, जिससे उसकी आंख में गम्भीर चोट आयी व बचाने आये नईम पुत्र हाजी बाबू के साथ भी मारपीट की गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 380/26 91(2)/191(3)/115(2)352/131/118(2)/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 380/26 धारा 91(2)/191(3)/115(2)352/131/118(2)/109(1) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नदीम पुत्र सगीर निवासी मौहल्ला मिर्धानपुरा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-उ0नि0 श्री शारिक अली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-है0का0 151 संदीप थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-है0का0 652 मोहित थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।





प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 15.06.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम में 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से क्रूरतापूर्वक भरी हुई 72 भैंस (60 छोटे व 12 बड़े) व 01 गाड़ी आयशर कैंटर नं0 HR-69E-6784 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से क्रूरतापूर्वक भरी हुई 72 भैंस (60 छोटे व 12 बड़े) व तस्करी में प्रयुक्त 01 गाड़ी आयशर कैंटर नं0 HR-69E-6784 बरामद हुई है ।



उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 0381/2026 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-रिजवान पुत्र मंगत निवासी पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-अनस पुत्र आसमौहम्मद निवासी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-रणजीत उर्फ रुद्र पुत्र सुकदयाल निवासी ग्राम नांगल जनपद फतेहाबाद हरियाणा ।

बरामदगी का विवरण-

- क्रूरतापूर्वक भरी हुई 72 भैंस (60 छोटे व 12 बड़े)
- 01 गाड़ी आयशर कैन्टर नं0 HR-69E-6784

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री शारिक अली थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 1120 धीरज थाना कोतवाली बागपत ।

3-हो0गा0 352 आशीष थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनाँक- 15.06.2026

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर
बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 410/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अर्जुन पुत्र संजीव निवासी ग्राम छछरपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1- उ०नि० श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- है०का० 358 बन्टी रावल थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3- है०का० 820 अमित थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनाँक 15.06.2026

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की कैन में 20 लीटर कच्ची शराब व 650 रुपये नगद एवं तस्करी में प्रयुक्त एक मोसा प्लेटिना नं० UP-14AS-3946 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक प्लास्टिक की कैन में 20.00 लीटर कच्ची शराब व 650 रुपये नगद एवं शराब की तस्करी में प्रयुक्त एक मोसा प्लेटिना नं० UP-14AS-3946 बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु०अ०सं० 195/26 धारा 60/72 उ०प्र० आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सन्तकुमार उर्फ डाक्टर पुत्र लखमीचन्द निवासी ग्राम सिरौली थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

- एक प्लास्टिक की कैन में कच्ची शराब 20 लीटर ।
- 650 रुपये नगद ।
- शराब की तरकरी में प्रयुक्त एक मोसा प्लेटिना नं० UP-14AS-3946

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० भुरेन्द्र सिंह चौहान थाना खेकड़ा ।
- 2-है०का० 847 राकेश कुमार थाना खेकड़ा ।
- 3-का० 997 सोनू कुमार थाना खेकड़ा ।
- 4-रि०का० 254 पिंटूराम थाना खेकड़ा ।
- 5-रि०का० 416 बादल कुमार थाना खेकड़ा ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 15.06.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैंकिंग के दौरान कबूतरवाजी के माध्यम से जुआ खेलते हुए 07 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक कबूतर बैठाने की छतरी व कुल 9,854 रुपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर द्वारा चैंकिंग के दौरान कबूतरवाजी के माध्यम से जुआ खेलते हुए 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक कबूतर बैठाने की छतरी व कुल 9,854 रुपये बरामद हुए हैं ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 203/26 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-गौरव पुत्र रामभूल निवासी ग्राम महेशपुर चोपड़ा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

- 2-मोनू पुत्र गणपत निवासी ग्राम निबाली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-सुमित पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम चिल्ला थाना मयूर विहार फेस 1 नई दिल्ली ।
- 4-निशान्त पुत्र संजय निवासी ग्राम टीला शहबाजपुर थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद ।
- 5-प्रिन्स पुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम दुजाना थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 6-साहिल पुत्र सतीश निवासी ग्राम टीला शहबाजपुर थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद ।
- 7-जतिन पुत्र पलवल निवासी ग्राम निवाली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक कबूतर बैठाने की छतरी ।
- कुल 9,854 रुपये नगद ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 रजत ढाका थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 439 कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 743 अमित कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4-का0 207 रिकू सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना ए0एच0टी0 बागपत दिनांक 15.06.2026

थाना ए0एच0टी0 बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 01/25 धारा 127(2)/127(3)/127(4)/143/146 बीएनएस व 3/14 बालश्रम प्रतिषेध अधिनियम व 79 किशोर न्याय अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक

20.09.2025 को

थाना

ए0एच0टी0

बागपत पर वादी

श्री गजेन्द्र सिंह

पुत्र श्री बाबूलाल

निवासी संस्था

ग्रामीण समाज



विकास थाना गंगानगर मेरठ ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1-महेश पुत्र जिले, 2-नितिन पुत्र रामकिशोर, 3- प्रवेश उर्फ कल्लू पुत्र करतार सिंह, 4- सुभाष पुत्र श्रीपाल, 5-राममोहन पुत्र हरिशरण, 6-जगवीर पुत्र हुकमे निवासीगण ग्राम ट्योढी थाना बड़ौत जनपद बागपत, 7-नजरूल पुत्र हुसैन अली निवासी छोटा कदमा थाना बरहैट जनपद साहिबगंज झारखण्ड द्वारा मानव तस्करी कर बच्चों को बंधक बनाकर बालश्रम कराया जा रहा है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ए0एच0टी0 बागपत पर मु0अ0सं0 01/25 धारा 127(2)/127(3)/127(4)/143/146 बीएनएस व 3/14 बालश्रम प्रतिषेध अधिनियम व 79 किशोर न्याय अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना ए0एच0टी0 बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 01/25 धारा 127(2)/127(3)/127(4)/143/146 बीएनएस व 3/14 बालश्रम प्रतिषेध अधिनियम व 79 किशोर न्याय अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नजरूल पुत्र हुसैन अली निवासी छोटा कदमा थाना बरहैट जनपद साहिबगंज झारखण्ड।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-उ0नि0 श्री शिव सिंह थाना ए0एच0टी0 बागपत।
- 2-है0का0 221 रजनीश कुमार थाना ए0एच0टी0 बागपत।

